तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सप्लाई विविध प्रकरण सं. 09/2019** **प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम लालचन्द पारीक**
16-06-2020	पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 06.11.2019 को अवैध गैस रिफिलिंग जांच हेतु पाल बाइपास पर पहुंचे। मौके पर एक लोडिंग टैक्सी आरजे 19 जीडी 1788 एवं एक मोटर साईकिल आरजे 19 एसटी 4523 खडे मिले। टैक्सी के ड्राइवर के पास कुल 30 सिलिण्डर का गैस पास मिला जबकि मौके पर 34 सिलेण्डर पाये गये जिसमें से मोटर साईकिल पर लदे 4 गैस सिलेण्डर के बारे में लालचन्द पारीक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया जिस पर चारों सिलेण्डरों को जब्त किया गया एवं वजह सबूत गेट पास को भी जब्त किया गया। उक्त चार सिलेण्डरों को जब्त किया जाकर उम्मेदसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया आनावास को सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेश तक गोदाम में सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया गया।

क्रम संख्या	कंपनी	सिलेण्डर सीरियल नं0 (किग्रा में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किग्रा में)	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किग्रा में)	शुद्ध गैस (किग्रा में)
1.	एच0पी0	312396–B	15.3	28.6	13.3
2.	एच0पी0	379761–S	15.7	29.0	13.3
3.	एच0पी0	881197–S	15.3	28.9	13.6
4.	एच0पी0	234552–T	15.5	28.7	13.2

इस प्रकार टैक्सी के ड्राइवर के पास कुल 30 सिलेण्डर का गेट पास मिला जबकि मौके पर 34 सिलेण्डर पाये गये इस प्रकार वैध दस्तावेज नहीं होने पर उपरोक्त सामाग्री द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण व नियमन) आदेश 2000 की अवहेलना किये जाने पर वजह सबूत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पत्रावली प्राप्त होने पर अप्राथी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता

	माणकलाल चाण्डक उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के चार सिलेण्डर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार जब्त किये गये, जिसमें टैक्सी के पास 30 घरेलू सिलेण्डर व 04 नॉन डॉमेस्टिक सिलेण्डर थे, टैक्सी के पास 30 घरेलू सिलेण्डर का पास था। उक्त चारो जब्तसुदा सिलेण्डर में वजन पूरा था। अगर माननीय न्यायालय उचित समझे तो जब्तसुदा सिलेण्डरों का वजन पुनः करवाकर रिपोर्ट मंगवा सकते है। उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर अप्रार्थी की गैस एजेन्सी के थे। जो उपभोक्ताओं के वहां सप्लाई करने हेतु डिलीवरी मैन लालचन्द पारीक अपनी मोटर साईकिल पर लेकर जा रहा था, जो जब्त कर लिये गये। अतः प्रार्थी द्वारा जब्तसुदा सिलेण्डरों को रिलीज करने का आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि दिनांक 06.11.2019 को अप्रार्थी की टैक्सी जिसमें 30 सिलेण्डर 14.200 घरेलू व 04 व्यवसायिक सिलेण्डर रखकर उपभोक्ताओं को सप्लाई हेतु गोदाम से सिलेण्डर लेकर निकलें। इस प्रकरण में जब्तसुदा सिलेण्डर की वस्तुस्थिति रिपोर्ट पाल रोड गैस सर्विस जोधपुर से मंगवाई गई उक्त एजेन्सी ने अवगत कराया कि जब्तसुदा सिलेण्डर में गैस की कोई कमी नहीं पाई गई और गैस सिलेण्डर का वजन पर्याप्त होना बताया है। अप्रार्थी के पास गेट पास था और उसमें जब्तसुदा सिलेण्डर अंकित होना पाया गया। अप्रार्थी के पास उक्त गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को पहुंचाने के लिए थे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 06.11.2019 को की गई कार्यवाही अवैध है। अतः जब्तसुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को नियमानुसार सुपुर्द करने की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.08.06 11:00:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: